UPLL010030302026

**न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), ललितपुर।**

**पीठासीन अधिकारी- (चन्द्रगुप्त यादव),**

(उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP-3820

**जमानत प्रार्थनापत्र सं.- 1092/2026**

**सत्यभान उर्फ गोलू यादव पुत्र रनवीर सिंह, निवासी ग्राम करमुहारा, थाना जखौरा, जिला ललितपुर.....**

**.....आवेदक/अभियुक्त**

**बनाम**

**स्टेट ऑफ यूपी**

**.....अभियोजन**

मुकदमा अपराध संख्या 391/2026
अन्तर्गत धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबंद एवं
समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986,
थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर।

**दिनांक 22.07.2026**

**(1)** यह कि आवेदक/अभियुक्त **सत्यभान उर्फ गोलू यादव पुत्र रनवीर सिंह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 391/2026 अन्तर्गत धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1092/2026 जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

**(2)** आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है, उसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। 2. यह कि प्रार्थी अभियुक्त न तो किसी गैंग का सदस्य है और न ही किसी भी प्रकार की कोई गैंग का समर्थन तथा सहयोग करता है थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस के द्वारा मात्र अपनी आत्म संतुष्टि किये जाने के उद्देश्य से फर्जी कार्यवाही की गयी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त किये जाने योग्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त आवेदक के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 1478/2025, अन्तर्गत धारा 316 (2), 126(2), 226, 352, 351(3), 308(5) भारतीय न्याय संहिता व मुकदमा अपराध संख्या 91/2026, अन्तर्गत धारा 316(2), 352, 351(3), 126(2), 308 (5), 3(5), 61 (2) भारतीय न्याय संहिता के आधार पर अनुमोदित गैंग चार्ट दर्शाया गया है। उपरोक्त दोनों प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गयी रिट याचिका संख्या 493/2026 में रिमाण्ड निरस्त किया जा चुका है तथा मुकदमा अपराध संख्या 91/2026 में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, ललितपुर द्वारा दिनांक 20.02.2026 में रिमाण्ड अस्वीकृत कर जेल से अवमुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जा चुका है तथा उपरोक्त दोंनों प्रकरण जिनके आधार पर गैंग चार्ट की कार्यवाही संस्थित की गयी है अभियुक्त आवेदक जेल से अवमुक्त हो चुका है जिस कारण अभियुकत आवेदक जेल से अवमुक्त किये जाने योग्य है। अभियुक्त/आवेदक को थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस के द्वारा एसओजी प्रभारी अतुल तिवारी के अवैधानिक कृत्यों की शिकायत पुलिस उपमहानिरीक्षक झॉसी परिक्षेत्र झॉसी के समक्ष की गयी थी जिस पर पुलिस उपमहानिरीक्षक झॉसी परिक्षेत्र झॉसी के द्वारा दिनांक 20.12.2025 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण झॉसी के समक्ष साक्ष्य एवं बयान अंकित किये जाने हेतु पत्राचार किया गया था जिसकी सूचना एवं तामीला हेतु पत्र दिनांक 20.12.2025 थाना कोतवाली ललितपुर आया जिसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस के द्वारा दिनांक

24.12.2025 को घर से पकड़कर मुकदमा अपराध संख्या 1478/2025 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था जिसके उपरान्त प्रार्थी के विरूद्ध थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस के द्वारा कई अभियोग लगातार जेल में रहते हुये झूठे पंजीकृत किये जाते जा रहे हे तथा उपरोक्त प्रकरण भी मात्र पुलिस की शिकायत किये जाने के कारण झूठा पंजीकृत किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त आवेदक किसी भी गैग कान तो सदस्य है और न ही किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि में लिप्त है ऐसी स्थिति में प्रार्थी अभियुक्त आवेदक जमानत पर अवमुक्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त प्रकरण में गैंग चार्ट में वर्णित आरोपीगण तथा आधारभूत मामले में पंजीकृत की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुकदमा वादी के द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही किये जाने से पूर्व उ.प्र. गिरोह बन्द समाज विरोधी कियाकलाप नियमावली की धारा 10 का भी स्पष्ट उल्लघन किया गया है जिस कारण सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध होने के कारण गिरफ्तारी असंवैधानिक है जिस कारण अभियुक्त आवेदक जमानत पर अवमुक्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त प्रकरण में वादी के द्वारा विधि विरुद्ध कार्यवाही करते हुये धारा 8 उ.प्र. गिरोह बन्द समाज विरोधी कियाकलाप नियमावली का भी स्पष्ट उल्लघन किया गया है और मनमाने तरीके से कार्यवाही करते हुये उक्त प्रकरण में फर्जी रूप से झूठा फंसाया गया है। थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस के मुकदमा वादी के द्वारा उ.प्र. समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण नियमावली के आज्ञात्मक प्राविधानों का उल्लंघन करते हुये विधिक प्रक्रिया का पालन किये बगैर उक्त अभियोग पंजीकृत कर रिमाण्ड लिया गया है जिस कारण अभियुक्त आवेदक जमानत पर अवमुक्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त प्रकरण में थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस के द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही मनमाने तरीके से की जाकर प्रार्थी अभियुक्त को उक्त प्रकरण में रंजिशन झूठा फंसाया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है तथा पुलिस के द्वारा न केवल मनमाने रूप से कार्यवाही करते हुये न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है बल्कि विधि की मंशा के विपरीत कार्यवाही करते हुये असंवैधानिक कार्यवाही भी की गयी है ऐसी दशा में अभियुक्त आवेदक जमानत पर अवमुक्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस के द्वारा पंजीकृत किये गये मुकदमा अपराध संख्या 391/2026 उपरोक्त में विवेचक द्वारा प्रोडक्शन वारण्ट के आधार पर रिमाण्ड लिया गया है तथा विधिक प्रक्रिया का पालन किये बगैर व गिरफ्तारी के आधारों का समुचित पालन किये बगैर उपरोक्त प्रकरण में रिमाण्ड लिया गया है तथा उपरोक्त प्रकरण में अवैधानिक रिमाण्ड स्वीकृत किया जाकर संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है जिस कारण भी अभियुक्त आवेदक जमानत पर अवमुक्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस के द्वारा मनमाने रूप से कार्यवाही करते हुये उक्त प्रकरण पंजीकृत किया गया है जिस कारण अभियुक्त आवेदक जमानत पर अवमुक्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी प्रकरण में आज दिन तक सजायाव नहीं है तथा थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस के द्वारा पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1478/2025 के पूर्व कोई आपराधिक इतिहास नहीं था मात्र पुलिस के द्वारा रंजिशन झूठे अभियोग पंजीकृत कर आपराधिक इतिहास तैयार किया गया है तथा आधारभूत मामले में अभियुक्त आवेदक का रिमाण्ड अस्वीकृत किया जाकर न्यायालय द्वारा असंवैधानिक गिरफ्तारी पाते हुये जमानत स्वीकृत की जा चुकी है मात्र इसी आधार पर अभियुक्त आवेदक जमानत पर अवमुक्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अभियुक्त जनपद ललितपुर का मूल निवासी है उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति इसी जिले में है जिस कारण उसके भागने अथवा फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा अभियुक्त आवेदक जमानत पर अवमुक्त किये जाने योग्य है। सम्पूर्ण घटनाक्रम का कोई स्वतंत्र साक्षीगण न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित किया गया है और न ही कोई स्वतंत्र साक्षीगण होने का तथ्य विद्यमान है। मुकदमा वादी के द्वारा कपोलकल्पित भ्रामक कथनों के आधार पर झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। प्रार्थी अभियुक्त को थाना कोतवाली ललितपुर की पुलिस के द्वारा दिखायी गयी गिरफ्तारी भ्रामक एवं कपोलकल्पित है प्रार्थी अभियुक्त से आधारभूत मामले में किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुयी है जिससे पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा आर्थिक एवं भौतिक लाभअपराध कारित करके प्राप्त नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अभियुक्त आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 1478/2025 दिनांक 25.12.2025 से जिला कारागार ललितपुर में निरूद्ध है तथा उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 16.04.2026 को रिमाण्ड स्वीकृत किया गया

था तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 16.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है तथा अभ्यस्त अपराधियों के बीच रहते हुये मन, मस्तिष्क एवं चरित्र पर बुरा असर पड़ने की प्रबल संभावना है। प्रार्थी अभियुक्त का जनता एंव पुलिस के मध्य किसी भी प्रकार का भय व आतंक नहीं है। अभियुक्त की ओर से न्यायालय श्रीमान में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अतिरिक्त अभियुक्त की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। इस प्रकार उसके द्वारा दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

**(3)** अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त एक गरीब नवयुवक है तथा जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया। विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त एक सक्रिय गैंग का सदस्य है जो कि लीडर के साथ मिलकर आपराधिक कृत्य करते हुये आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करते हैं। उक्त तर्क के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

**(4)** अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**(5)** संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2026 को मैं प्र0नि0 अनुराग अवस्थी मय हमराह हे0का0 सुशील कुमार पीएनओ नं0-062390532 मय एक अदद पम्प एक्शन गन मय 10 कारतूस का0 दीपेन्द्र सिहं के मय वाहन सरकारी गाडी बुलेरो नं0 UP 94 G 0348 मय चालक हे0का0 गुलाब सिहं के रखाना शुदा रफ्ता रपट रो० तारीखी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था अपराध रोकथाम जुर्म जरायम व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व वाला-वाला अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद ललितपुर से प्राप्त शुदा अभियुक्त गैंगलीडर जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व० देवी सिंह यादव निवासी ग्राम व थाना डकोर जनपद जालौन उत्तर प्रदेश (बर्खास्त शुदा) मुख्य आरक्षी पूर्व तैनाती पुलिस कार्यालय प्रधान लिपिक शाखा जनपद ललितपुर उम्र 42 वर्ष व गैग के सक्रिय सदस्य 1. सत्यभान सिहं यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र रणवीर सिंह उर्फ रनवीर सिहं निवासी पिसनारी थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर स्थायी पता करमुहारा थाना जखौरा जिला ललितपुर उम्र 20 वर्ष का एक सुसंगठित गिरोह है जिसका वह स्वंय गैंगलीडर है जिसके सक्रिय सदस्य 1. सत्यभान सिहं यादव उर्फ गोलू यादव उपरोक्त है यह गैंग लीडर स्वयं व अपने सदस्यो के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिये स्वास्थय विभाग व अन्य विभागो में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगो का पैसा लिया जाता है इसके लिये यह लोग अपने आपको बडे -बडे नेताओ, प्रतिष्ठित लोगो से सम्पर्क बताकर लोगो को गुमराह करते है सीधे साधे लोग इनके बहकावे में आ करके अपना पैसा दे देते है और फिर इनके इस संगठित गिरोह द्वारा लोगो को न तो नौकरी लगायी जाती है और न ही पैसा वापस किया जाता है जो पीडित व्यक्ति अपना पैसा माँगता है तो इस गिरोह के सदस्यो के द्वारा आत्महत्या करने की बात मोबाइल पर मैसेज के रूप में भेजकर और सोशल मीडिया पर आत्महत्या करने की बात लिखकर सुनियोजित रूप से पीडित पक्षो के ऊपर दबाब बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है इस गिरोह के द्वारा जनता के आम व्यक्तियो के, अधि०/कर्म० गण, जनप्रतिनिधि, सबके गुपचुप तरीके से मोबाइल फोन से रूटीन टाइप की बातो को रिकार्ड करके अपने अनैतिक कार्यों को पूरा करने के लिये दबाब भी बनाये जाने का प्रयास किया जाता है इनके द्वारा पुलिस की नकारात्मक छवि बनाने के लिये सुनियोजित रूप से आपराधिक षडयन्त्र -रचने का कृत्य किया जाता है इसके अलावा इस गिरोह के द्वारा विवादित जमीनो पर भी कब्जा करने का प्रयास किया जाता है इनके द्वारा जाति के आधार पर बैमनष्ता फैलाने का प्रयास किया जाता है। तथा सरकार विरोधी मानसिकता रखने, व मुकदमा अ0सं0-1478/2025 के वादी से मोटी रकम प्राप्त कर वापस न करने को लेकर सह अभियुक्त गोलू उर्फ सत्यभान यादव को उकसाकर आत्महत्या करने की पोस्ट डालने तथा दिनेश कुमार उर्फ कार्तिक से सह अभियुक्त गोलू यादव उपरोक्त के माध्यम से षडयंत्र

पूर्वक मोटी रकम प्राप्त कर अनुचित दवाब बनाकर आत्महत्या करने की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कराने के घटनाक्रम की पुष्टि हुयी। जितेन्द्र सिंह यादव उपरोक्त द्वारा मुकदमा के विवेचक के वाट्सएप पर बजाज फाइनेंस प्रकरण से संबंधित अभियुक्त दिनेश कुमार उर्फ कार्तिक के संबंध में वाट्सएप चैट कर उपरोक्त मुकदमें की विवेचना में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित करने जैसे जघन्य अपराध कारित करने के अभ्यस्तः अपराधी हैं। इनके भय व आतंक की वजह से आम जनता के कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है, जनता के व्यक्तियों में डर इनका व भय का माहौल व्याप्त है जिस कारण इनका स्वच्छन्द रहना जनहित में ठीक नहीं है इनके स्वच्छन्द रहने से समाज के सभी वर्ग के लोग व जन जन समुदाय परिसंकट मय है यह गैंग लीडर अपने सदस्य के साथ समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त हैं। अभियुक्त गण उपरोक्त द्वारा कारित किये गये अपराध भारतीय न्याय संहिता - 2023 के अध्याय 17 एवं 19 मे वार्णित है। जो गैगस्टर अधिनियम की धारा 2(ख) (1) (IV) (XI) से आच्छादित है। विस्तृत विवरण अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट है-उल्लेखनीय है कि दिनाँक 24.12.2025 को वादी श्री भूपेन्द्र तिवारी पुत्र स्व० कैलाश नाथ तिवारी निवासी मु0 858 आजादपुरा थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर की पुरव तहरीरी सूचना घटनाक्रम अभियुक्त सत्यभान उर्फ गोलू एवं अन्य अजात द्वारा वादी की चुनोकरी लगवाने के नाम पर 750000/ रूपये ले लेना व शेष रूपये की मांग को लेकर गाली * गलौज कर झूठे मुकदमो में फसाने की धमकी देना तथा आरोपी गण द्वारा वादी को रास्ते में बलपूर्वक रोककर तीन लाख रूपये की मांग करते हुये गोली मारने की धमकी देना और डरा धमका कर बीस हजार रूपये ले लेने के सम्बन्ध में धारा 316(2), 352, 351(3), 333, 308(5) BNS 2023 बनाम गोलू उर्फ सत्यभान यादव पुत्र रणवीर सिहं निवासी करमुहारा थाना जखौरा जिला ललितपुर हाल पता मोहल्ला पिसनारी थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर व अन्य अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत होकर विवेचना निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिहं द्वारा सम्पादित की गयी, विवेचनात्मक कार्यवाही एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा 333 BNS 2023 को विलोपित कर धारा 126 (2), 226 BNS 2023 की बढोत्तरी की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही से संकलित साक्ष्य से अभियुक्त सत्यभान यादव उर्फ गोलू उपरोक्त की वादी मुकदमा श्री भूपेन्द्र तिवारी से करीब 03 वर्ष पूर्व मुलाकात होने पर गोलू यादव उर्फ सत्यभान वादी मुकदमा के घर, कार्यालय अपने अन्य साथियों के साथ आने जाने लगा और अपनी जान पहचान बडे बडे लोगो से बताया, जिसका समर्थन उसके साथी भी करते थे, वादी मुकदमा अभियुक्त गोलू यादव उर्फ सत्यभान आदि की बातों से प्रभावित हुआ। वादी मुकदमा द्वारा अपनी सरकारी नौकरी किसी भी विभाग में लगवाने के लिये गोलू उर्फ सत्यभान यादव एवं उसके साथियो से कहा तब अभियुक्त गोलू उर्फ सत्यभान यादव ने वादी मुकदमा से कहा कि तुम 10 लाख रूपये दे दो तो मै तुम्हारी नौकरी स्वास्थ्य विभाग मेडीकल कालेज ललितपुर में लगवा दूँगा, जहाँ पर 60 हजार रूपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। वादी मुकदमा गोलू यादव उर्फ सत्यभान तथा उसके साथियों के विश्वास में आ गया और वादी मुकदमा ने अपने आधारकार्ड, हाईस्कूल, इण्टर, बीकाम, एमकाम, CCC डिप्लोमा के शैक्षणिक दस्तावेजों की फोटो कापी अपने हस्ताक्षर बनाकर तथा अपने मित्र देवेन्द्र पटेल पुत्र ऊदल सिहं निवासी आजादपुरा ललितपुर से 350000/ रूपये लेकर निक्वी यादव की मौजूदगी में माह फरवरी वर्ष 2023 में गोलू उर्फ सत्यभान यादव को उसके अन्य साथियों की सहमति पर दे दिया था। गोलू उर्फ सत्यभान यादव ने वादी मुकदमा से कहा कि बकाया रूपयों की जल्दी व्यवस्था करो। वादी मुकदमा द्वारा गोलू यादव उर्फ सत्यभान को उसके अन्य साथियो की सहमति पर यूनियन बैंक ललितपुर में संचालित अपने खाता संख्या 611902010000703 के तीन चैक विश्वास दिलाने के लिये हस्ताक्षर करके दिये थे वादी मुकदमा के यूनियन बैंक ललितपुर के बैंक एकाउण्ट नम्बर 611902010000703 से दिनांक 15.09.2023 को चैक नम्बर 014122 से 25000/रूपये, दिनांक 03.10.2023 को चैक नम्बर 014123 से 50000/ रूपये एवं दिनांक 08.11.2023 को चैक नम्बर 014125 से 39000/ रूपये तथा वादी मुकदमा ने एसबीआई बैंक एकाउण्ट नम्बर 34330378961 से आनलाइन दिनाँक 31.10.23 को 10000/ रू०, दिनाँक 06.11.2023 को 20000/ रू0 दिनाँक 10.02.2024 को 25000/ रू0, दिनाँक 29.10.2024 को 95000/ रू0 दिनांक 26.05.2024 को 15000/ रू0 भेजे, तथा दिनाँक 19.06.2023 को 50000/ रू0 दिनाँक 09.07.2023 को 20000/ रू0 दिनाँक

03.08.2023 को 25000/ रू0 दिनाँक 08.08.2023 को 25000/ रू0 दिनांक 20.08.2023 को 15000/ रू0 दिनांक 01.05.2025 को 20000/रू० अभियुक्त सत्यभान यादव उर्फ गोलू के बाबा जयराज यादव के खाते मे भेजे। जिसका संचालन अभियुक्त सत्यभान यादव उर्फ गोलू के द्वारा किया गया। अभियुक्त गोलू उर्फ सत्यभान यादव एवं उसके अन्य साथियों द्वारा दिनाँक 02.11.2025 को वादी मुकदमा भूपेन्द्र तिवारी को अवैध तमंचा लगाकर डर पैदा कर बीस हजार रूपये लिए तथा वादी मुकदमा से अभियुक्त गोलू उर्फ सत्यभान यादव एवं उसके अन्य साथियों द्वारा कुल 784000/ रूपये नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर सदोष अवरोध कर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देकर तथा तमंचा लगाकर मृत्यु के भय में डालकर एवं किसी से बताने पर आत्महत्या के मुकदमे मे फसाने की धमकी देकर रूपये प्राप्त करने पुष्टि हुई। मुकदमा वादी श्री भूपेन्द्र तिवारी के मोबाइल न0 7521 837727 के व्हाट्सएप्प चैट के अवलोकन, आदि गवाह श्री देवेन्द्र सिंह पटेल के बयान से वादी मुकदमा श्री भूपेन्द तिवारी द्वारा 350000/ रूपये उधार लेकर स्वास्थ्य विभाग में अपनी नौकरी लगवाने के लिये अभियुक्त गोलू यादव एवं उसके अन्य साथियों को उक्त रूपये देने के तथ्य प्रकाश मे आये। श्री निक्वी यादव उर्फ रोहित के बयान में वादी मुकदमा भूपेन्द्र तिवारी के द्वारा अभियुक्त गोलू उर्फ सत्यभान यादव एवं उसके अन्य साथियों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 1000000/ रूपये की माँग करने की पुष्टि हुई, जिसमें अभियुक्त गोलू यादव उर्फ सत्यभान एवं उसके अन्य साथियों द्वारा 750000/ रूपये भिन्न भिन्न दिनाँक में नकद एवं चैक व आनलाइन के माध्यम से प्राप्त किए जाने तथा दिनाँक घटना के दिन अभियुक्त गोलू यादव उर्फ सत्यभान तथा उसके अन्य साथियों के द्वारा वादी मुकदमा श्री भूपेन्द्र तिवारी व गवाह श्री निक्की यादव उर्फ रोहित को बलपूर्वक रोककर वादी मुकदमा की कनपटी पर तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी देकर तीन लाख रूपये देने का दबाव बनाया गया तथा वादी मुकदमा द्वारा अपनी जान बचाने के लिए अपनी जेब में रखे 20000/ रूपये निकालकर सत्यभान उर्फ गोलू यादव को दे देने की पुष्टि हुई है। जितेन्द्र कुमार सोनी के द्वारा दिये गये अपने मोबाइल फोन के स्क्रीनशाट से अभियुक्त गोलू यादव उर्फ सत्यभान द्वारा आत्महत्या की धमकी की पुष्टि हुई है। गवाह उ0नि0 श्री अतुल तिवारी एसओजी प्रभारी ललितपुर, गवाह आरक्षी भान प्रताप एसओजी ललितपुर के बयान एवं स्क्रीनशाट की रंगीन छायाप्रति के अवलोकन से आत्महत्या कर फर्जी मुकदमे मे फसाने की धमकी देने की पुष्टि हुई है। अभियुक्त सत्यभान यादव उर्फ गोलू पुत्र रणवीर सिहं निवासी करमुहारा थाना जखौरा जिला ललितपुर हाल पता मोहल्ला पिसनारी थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर के विरूद्ध धारा 316(2), 126(2), 226, 352, 351(3), 308(5) BNS 2023 के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर चालान जरिये आरोप पत्र 147/2026 दिनाँक 16.02.2026 मा0 न्यायालय किया गया। अन्य अभियुक्तो के विरूद्ध साक्ष्य संकलन कार्यवाही प्रचलित रहने पर..... गवाह उ०नि० श्री अतुल तिवारी एसओजी प्रभारी ललितपुर, गवाह आरक्षी भान प्रताप एसओजी ललितपुर के मजीद बयान एवं स्क्रीनशाट की रंगीन छायाप्रति के अवलोकन और आडियो रिकार्डिंग अभि० गोलू यादव उर्फ सत्यभान व अभि० जितेन्द्र सिंह यादव की वार्ता आदि से आत्म हत्या कर फर्जी मुकदमे में फसाने की धमकी देने एवं षड़यंत्र पूर्वक संगठित रूप से धन अर्जित करने के लिये वादी मुकदमा को वाट्सएप चैट.....अगर हमारे घरें पतो चली पैसा को कछू सो हम आपको नाम लिखकर मर रहे..... तथा गोलू यादव उर्फ सत्यभान द्वारा आत्महत्या किये जाने की पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफार्म वाट्सएप पर स्टेटस के रूप में लगाने के लिये आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण करने की पुष्टि एवं ओडियो रिकार्डिंग वायरल से घटना की पुष्टि हुई है। एवं जितेन्द्र सिंह यादव द्वारा पुलिस के अधिकारी व कर्मचारीगणों पर धौंस दिखाकर एवं अपनी पहुंच नेताओं, अधिकारियों तथा बडे बडे लोगों में बताकर घटनायें कारित करने पुलिस कार्यालय की गोपनीयता भंग कर अनरगल एवं आधारहीन बातें रखकर षडयंत्र करने अपने सहयोगी गोलू यादव को आत्महत्या करने के लिये षड़यंत्र पूर्वक उकसाने तथा स्वयं आत्महत्या करने की धमकी देने तथा अन्य प्रकरण के अभियुक्तों को अनुचित लाभ प्राप्त कर षड़यंत्र पूर्वक प्रकरण से नाम हटवाने को लेकर अनुचित आत्महत्या करने संबंधी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करने आदि घटनाक्रम की पुष्टि तथा जितेन्द्र सिंह यादव उपरोक्त द्वारा मुकदमा विवेचक के वाट्सएप पर बजाज फाईनेंस प्रकरण से संबंधित अभियुक्त दिनेश कुमार उर्फ कार्तिक के संबंध में वाट्सएप चैट कर उपरोक्त मुकदमें की विवेचना में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से विवेचना

प्रभावित करने के पुष्टि कारक साक्ष्य प्राप्त हुये है। मुकदमा उपरोक्त में जितेन्द्र सिंह यादव उपरोक्त के विरूद्ध अपराध धारा 61(2)/316(2),226 BNS 2023 का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर धारा 61 (2) BNS की बढोत्तरी दिनांक 27.03.2026 को करते हुये मुख्य आरक्षी जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व० देवी सिंह यादव निवासी ग्राम व थाना डकोर जनपद जालौन उत्तर प्रदेश (बर्खास्त शुदा मुख्य आरक्षी) पूर्व तैनाती पुलिस कार्यालय प्रधान लिपिक शाखा जनपद ललितपुर के द्वारा कारित अपराध में संकलित साक्ष्य से अभियुक्त जितेन्द्र सिंह यादव उपरोक्त द्वारा सह अभियुक्तगण गोलू उर्फ सत्यभान यादव के साथ षड़यंत्र कर संगठित रूप से धन अर्जित करने के लिये लगातार घटनायें कारित की गयी। अभियुक्त जितेन्द्र सिंह यादव उपरोक्त के विरूद्ध धारा 61 (2)/316(2), 226 BNS 2023 का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर चालान द्वारा पूरक आरोप पत्र 147 ए/2026 दिनांक 28.03.2026 माननीय न्यायालय किया गया।..... तथा दिनाँक 22.01.2026 को श्री रोहित यादव उर्फ निक्की पुत्र स्व० दिनेश सिहं निवासी 77 आजादपुरा थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर द्वारा धारा 316(2)/352/351(3)/126(2)/ 308(5) BNS बनाम गोलू उर्फ सत्यभान यादव पुत्र रणवीर सिहं निवासी करमुहारा थाना जखौरा जिला ललितपुर हाल पता मोहल्ला पिसनारी थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर के विरूद्ध पंजीकृत कराया। विवेचना उ0नि0 श्री अंकित कौशिक चौकी प्रभारी नेहरूनगर को सुपुर्द की गयी थी मुकदमा उपरोक्त में अब तक की तमामी विवेचना एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट रुप से प्रमाणित होता है कि अभियुक्त सत्यभान यादव उर्फ गोलू यादव उपरोक्त के द्वारा वादी मुकदमा से 80000 रुपये फोन पे व शेष 55000 रुपये नकद कुल मिलाकर 135000 रुपये प्राप्त किये गये थे और वादी मुकदमा के द्वारा कई बार उक्त धनराशि वापस माँगने पर टाल मटोल की गयी थी। जब वादी मुकदमा के द्वारा कई बार उक्त धनराशि चुकता करने के लिए कहा गया तो अभियुक्त सत्यभान उर्फ गोलू यादव उपरोक्त के द्वारा अपने सह अभियुक्त जितेन्द्र सिंह यादव उपरोक्त के साथ मिलकर साशय आपराधिक षडयंत्र करते हुए आत्महत्या करके झूठे केस में फँसाने की धमकी दी गयी थी और फिर दिनांक 22.12.2025 को अभियुक्त सत्यभान उर्फ गोलू यादव तथा जितेन्द्र सिंह यादव उपरोक्त के द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचते हुए अभियुक्त गोलू यादव के द्वारा बच्चा जेल रोड पर वादी मुदकमा श्री रोहित यादव उर्फ निक्की यादव तथा मौके पर मौजूद उसके साथी दुष्यंत सिंह का रास्ता रोककर कट्टा दिखाकर मृत्यु के भय में डालकर गाली गलौच करते हुए 50000 रुपयों की अवैध माँग की गयी थी और वादी मुकदमा से 10000 रुपये मौके पर ही वसूलते हुए शेष रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। अन्य बयान से जितेन्द्र सिंह यादव मुख्य आरक्षी द्वारा पुलिस के अधिकारी व कर्मचारीगणों पर धौंस दिखाकर एवं अपने पहुंच नेताओं, अधिकारियों तथा बडे बडे लोगों में बताकर घटनायें कारित करने पुलिस कार्यालय की गोपनीयता भंग कर अनरगल एवं आधारहीन बातें रखकर षडयंत्र करने अपने सहयोगी गोलू यादव को आत्महत्या करने के लिये षड़यंत्र पूर्वक उकसाने तथा स्वयं आत्महत्या करने की धमकी देने तथा अन्य प्रकरण के अभियुक्तों को अनुचित लाभ प्राप्त कर षड्यंत्र पूर्वक प्रकरण से नाम हटवाने को लेकर अनुचित आत्महत्या करने संबंधी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करने आदि घटनाक्रम की पुष्टि हुयी है। है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में संकलित साक्ष्यों के क्रम में अभिकथन स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री अतुल तिवारी व आरक्षी भान प्रताप से अभियुक्त जितेन्द्र सिंह यादव व अभियुक्त सत्यभान याव उर्फ गोलू यादव उपरोक्त के एक संगठित गिरोह के रुप में कार्य करने, लोगों से अवैध रुपये करने व सोशल मीडिया लेकर वापस न करने, रुपये माँगने पर आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण क पर आत्महत्या का स्टेटस लगाने, आपराधिक षडयंत्र रचते हुए लोगों के रुपये ऐंठने व फर्जी शिकायते करने का दुष्प्रेरण करने की बात पुष्ट हुई है। तमामी विवेचना एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सत्यभान यादव उर्फ गोलू यादव उपरोक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 316(2)/352/351(3)/126(2)/308(5)/3(5)/61(2) BNS तथा अभियुक्त जितेन्द्र सिंह यादव उपरोक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 316(2)/3(5)/61 (2)/108/56 BNS बाखूबी साबित होने पर जरिये आरोप पत्र संख्या 279/2026 दिनांक 28.03.2026 माननीय न्यायालय किया गया है। गैंग लीडर जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व० देवी सिंह यादव निवासी ग्राम डकोर थाना डकोर जनपद जालौन उत्तर प्रदेश (बर्खास्त शुदा) मुख्य आरक्षी पूर्व तैनाती पुलिस कार्यालय प्रधान लिपिक शाखा जनपद ललितपुर उम्र 42 वर्ष उपरोक्त का गैंग समाज विरोधी क्रियाकलापों में में संलिप्त है। इस गैंग की आपराधिक गतिविधियों में

अंकुश लगाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त गैंग का आपराधिक कृत्य उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 गैंगेस्टर के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। गैंग चार्ट में दर्शाये गये मुकदमे के आधार पर अभियुक्त गण के विरुद्ध की जाने वाली गैगेस्टर अधिनियम की यह प्रथम कार्यवाही है। अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक/भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिये उपरोक्त वर्णित घटनाये कारित की गयी है। गैंगलीडर जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व० देवी सिंह यादव निवासी ग्राम डकोर थाना डकोर जनपद जालौन उत्तर प्रदेश (बर्खास्त शुदा) मुख्य आरक्षी पूर्व तैनाती पुलिस कार्यालय प्रधान लिपिक शाखा जनपद ललितपुर उम्र 42 वर्ष व गैग के सक्रिय सदस्य 1. सत्यभान सिहं यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र रणवीर सिंह उर्फ रनवीर सिहं निवासी पिसनारी थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर स्थायी पता करमुहारा थाना जखौरा जिला ललितपुर उम्र 20 वर्ष के विरूद्ध उ०प्र० (गिरोहबन्द अधिनियम) समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के विरुद्ध गैंग चार्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद ललितपुर से अनुमोदित करा लिया गया है अभियोग पंजीकृत करें।

**(6)** प्रकरण में थाने की आख्या आहूत की गयी। थाने द्वारा अपनी आख्या में प्रस्तरवार बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

गैंगचार्ट प्रारूप के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक विवरण निम्नवत हैः-

**गैंगचार्ट का प्रारूप**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | गैंग लीडर- जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व० देवी सिंह यादव, निवासी ग्राम डकोर थाना डकोर जनपद जालौन उत्तर प्रदेश (बर्खास्त शुदा) मुख्य आरक्षी पूर्व तैनाती पुलिस कार्यालय प्रधान लिपिक शाखा जनपद ललितपुर। | मु.अ.सं.-1478/2025 धारा 316(2),226/61(2) बी.एन.एस., थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर, आरोप पत्र सं०-147 ए/2026 दिनांक 28.03.2026 |
| | | मु.अ.सं.-91/2026 धारा 316(2)/3(5)/61(2)/108/56 बी.एन.एस. थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर, आरोप पत्र सं०-279/26 दिनांक 28.03.2026 |
| 2 | गैंग सदस्य- सत्यभान सिंह यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र रणवीर सिंह उर्फ रनवीर सिंह, निवासी पिसनारी थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर, स्थायी पता करमुहारा थाना जखौरा जिला ललितपुर। | मु.अ.सं.-1478/2025 धारा 316(2),126(2),226,352,351(3),308(5) बी.एन.एस., थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर, आरोप पत्र सं०-147/2026 दिनांक 16.02.2026 |
| | | मु.अ.सं.-91/2026 धारा 316(2),352,351(3),126(2),308(5)/3(5)/61(2) बी.एन.एस. थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर, आरोप पत्र सं०-279/26 दिनांक 28.03.2026 |

**(7)** गैंगचार्ट के अवलोकन से विदित होता है कि गैंगचार्ट के प्रारूप में अभियुक्त के विरूद्ध मु.अ.सं.-1478/2025 धारा 316(2),126(2),226,352,351(3),308(5) बी.एन.एस., थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर, आरोप पत्र सं०-147/2026 दिनांक 16.02.2026 तथा मु.अ.सं.-

91/2026 धारा 316(2),352,351(3),126(2),308(5)/3(5)/61(2) बी.एन.एस. थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर, आरोप पत्र सं०-279/26 दिनांक 28.03.2026 होना अभिकथित है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त को प्रारूप गैंगचार्ट में गैंग का सदस्य होना अंकित किया गया है, जिसके द्वारा अपने गैंग के लीडर के साथ मिलकर अवैध रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिये आपराधिक षडयन्त्र के तहत आपराधिक न्यासभंग करने, सदोष अवरोध करने, अपराध का दुष्प्रेरण करने, आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने, विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न करने, उद्वापन करने, लोकशांति भंग करने एवं आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने जैसे गम्भीर अपराध करने का अभियोग आधार मुकदमा में लगाया गया है।

**(8)** जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय धारा 19(4)(ख) के तहत यह समाधान या यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है कि आवेदक/अभियुक्त दोषी नहीं है तथा आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया तो उसके द्वारा पुनः कोई अपराध कारित किये जाने की सम्भावना नहीं है।

**(9)** अतः अभियोग की प्रकृति तथा अभियुक्त की प्रास्थिति को दृष्टिगत रखते हुये तथा मामले के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/अभियुक्त **सत्यभान उर्फ गोलू यादव पुत्र रनवीर सिंह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 391/2026, अन्तर्गत धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1092/2026 निरस्त किया जाता है।

इस आदेश के पूर्ववर्ती अनुच्छेद में सम्प्रेक्षण, यदि कोई हो तो वह मामले के गुण दोष को प्रभावित नहीं करेगा, ऐसे सम्प्रेक्षण मात्र प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु किये गये हैं।

इस आदेश की एक प्रति अभियुक्त को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाये।

अहलमद/लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति जरिये ई-मेल जिला कारागार ललितपुर प्रेषित की जावे।

**(चन्द्रगुप्त यादव)**

दिनांक: 22.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट),
ललितपुर।